

राजस्थान लोक अदालत अभियान
न्याय आप के द्वार 2018

23-1-18

पत्रावली पेश हुई। यत्नाय उप.
अनुपस्थित/ अधिकारी
द्वारा अन्य कार्य के मास्त।
पत्रावली पूर्व आपशानुसार आदेश
दिनांक 6-2-18 को पेश हो

(Signature)

6-2-18

पत्रावली पेश हुई। यत्नाय उप.
अनुपस्थित/ अधिकारी
द्वारा अन्य कार्य के मास्त।
पत्रावली पूर्व आपशानुसार आदेश
दिनांक 14-3-18 को पेश हो

(Signature)

15⁰⁴/₁₈

राजस्थान लोक अदालत अभियान
न्याय आप के द्वार 2018

पत्रावली पेश हुई। यत्नाय उप.
अनुपस्थित/ अधिकारी
द्वारा अन्य कार्य के मास्त।
पत्रावली पूर्व आपशानुसार आदेश
दिनांक 29/5/18 को पेश हो।

29⁰⁵/₁₈

पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत अभियान
न्याय आप के द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत उच्च
स्थल अदालत सेवा केन्द्र, गोविन्दपुरा में पेश
हुई। प्रकरण में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई।
दौरा में बहुत बड़ी गड़बड़ी में अपने वादपत्र में
अंतिम तर्कों को दोहराते हुए मुताबित अनुसूच
पावा डिही फरमाया जाते थे निवेदन किया।
प्रकरण के संबंध में मजसे अग्र में पूछताछ
की गई एवं कई मौका तैयार की गई। शक्ति-
धारी नवमीलपार ज्येल ने मुताबित अनुसूच
पावा डिही फरमाये जाने पर अनापत्ति दर्ज करवाई।

No objection
TDR K.S.L
29.05.2018



पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्थान रेगिस्ट्रार का अपलोडन डिफर किया गया। मजसे
आम में की गई पूछताछ एवं वादी के पक्ष में
दस्तावेजात में वादी का वास्तविक व लड़ी
नाम "नामूरज उग्र गोस्व" के बजाय "नामूरज
उग्र गोस्वराज" है। अतः वादी का वास्तविक नाम

छिप जाकर घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम कृष्णनगर पण्डु गोविन्दपुरा
तहसील खेला जिला सीकर (राज) उप-
स्थित कृषि भूमि खानों 876, 877, 878,
883, 885, 886, 887, 888, 889, 890
रकबा 5.16 हे० में कड़ी का नाम "नाबूराम
सुन गोदू" हिस्सा 1/5 के रजिस्ट्रार पर "नाबूराम
सुन गोदूराम" हिस्सा 1/5 प्रकृत छिप जात
है। उक्तानुसार राजाम रेकर्ड में अमल दरासत
हो। तदनुसार अक्षरों में पचा डिक्री भुर्ती
हो। पत्रावली कैमल कुमार छेडर नम्बर के
रुम हो तथा वह तहसील फाइल फलतरे है।
निर्वास मजसे आम मुनास 2/18

भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(रास्ट ट्रेक) खण्डेला

पत्र नाबूराम
(गोदी)

पत्र कृष्णराज
सहकारिता

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), खण्डेला,(सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शायर, RAS

पुत्र गोधराम जाति यादव अहीर उनवान 0 भूमिधारी तहसीलदार पबेला
उदयपुरा (गोविन्दपुरा) तहसील पबेला बनाम
जिला सीकर (राज)

दावा बाबत जोषणा, प्रकृति

मुकदमा नम्बर :- 96/2017

निर्णय दिनांक :- 29-05-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शायर, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुदई रुबरु श्री रामेश्वर लाल तेलरपाल

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम रुणजगर पण्ड गोविन्दपुरा तहसील पबेला जिला सीकर (राज) अर्थात्

हापि अमि फनं 876 ता 878, 883, 885 ता 890 रकबा 5.16 है में पादी का


नाम "नानुडा पुत्र गोधर" हिनका 1/5 के स्थान पर "नाथुराम पुत्र

गोधराम" हिनका 1/5 प्रकान्त डिण जात है। उक्तानुका राजक रेकर्ड

में अमल दरासप है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 29-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
खण्डेला(सीकर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
फीस		आदेशिका की तामील	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		कमिश्नर की फीस	
कमिश्नर की फीस			
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	